वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

दिनांक-27.07.2018 को "परियोजना- हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन निर्माण" मौजा- बसाढ़, थाना नं0-43, अंचल- वैशाली हेतु गठित विशेषज्ञ समूह समिति की सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के मूल्यांकन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज है।

जिला पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में "परियोजना- हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाईन निर्माण" मौजा- बसाढ़, थाना नं0-43, अंचल- वैशाली, कुल अर्जनाधीन रकबा-07.23000 एकड़ हेतु गठित विशेषज्ञ समूह समिति की **"सामाजिक प्रभाव आकलन"** SIA प्रतिवेदन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पूर्व में चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना द्वारा संबंधित प्रतिवेदन के प्रारूप प्रकाशन पर चर्चा दिनांक-16.02.2018 तथा 20.03.2018 को की जा चुकी है। आज दिनांक-27.07.2018 को बैठक में सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना द्वारा अंतिम रूप से तैयार किया गया सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) प्रतिवेदन पर चर्चा की गई तथा समिति के सभी सदस्यों को संबंधित प्रतिवेदन की प्रति हस्तगत कराई गइ।

परियोजना की पृष्ठभूमि- प्रस्तावित योजना वैशाली होते हुए हाजीपुर और सुगौली के बीच बड़ी लाईन के निर्माण की है। हाजीपुर, लखनऊ-गोरखपुर-कटिहार बड़ी लाईन प्रमुख मार्ग पर जंक्शन स्टेशन है और बड़ी लाईन के मुख्य मार्ग के माध्यम से बछवारा/बरौनी को भी जोड़ता है। सुगौली मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज बड़ी लाईन मार्ग पर जंक्शन स्टेशन है और रक्सौल से जुड़ा हुआ है जो नरकटियागंज-दरभंगा मार्ग पर बड़ी लाईन का एक जंक्शन है। स्टेशन के साथ ही साथ नेपाल का महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार है। इस तरह, इस बड़ी लाईन के बन जाने के बाद, सुगौली नरकटियागंज और रक्सौल के लिए वैशाली होते हुए हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सुगौली एकल लाईन वाले मार्ग के अतिरिक्त एक वैकल्पिक मार्ग खुल जाएगा जिससे मुजफ्फरपुर यार्ड छूट जाएगा और देश के उत्तरी/पश्चिमी भाग से छपरा होते हुए आने वाले यातायात के समय में कुछ बचत होगी क्योंकि वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर में ट्रेन का इंजन आगे-पीछे करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा।

प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग उस वैशाली से जुड़ा हुआ है जो लिच्छवी वंश के राजाओं की राजधानी, महावीर (जैन तीर्थंकर) की जन्मस्थली, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली होने के नाते धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस बड़ी लाईन के बन जाने से बुद्ध परिपथ (सर्किट) रेल मद से भलीभांति जुड़ जाएगी। इस प्रकार यह रेल मार्ग पर्यटकों के लिए रेल यात्रा सुगम बनाएगा और उन्हे बिहार की राजधानी, पटना से नेपाल जाने में भी सुगमता हो जाएगी।

समाजिक प्रभाव आकलन के उद्देश्य– "उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम, 2013" (RFCTLARR Act, 2013) के अध्याय–II की धारा–4 से 6 तक समाजिक प्रभाव आकलन करने के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है। समाजिक प्रभाव आकलन के निम्नांकित उद्देश्य है–

i. भू–इकाइयों के वर्तमान स्वरूप/वर्गीकरण को चिन्हित करना।
ii. सम्पत्ति के आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, आवासीय गृहों की संख्या तथा सार्वजनिक और निजी आधारभूत संरचना एवं सम्पत्तियों का आकलन करना।
iii. आवासीय सुविधा की हानि, आजीविका की हानि तथा कृषि के अवसर की हानि को ध्यान में रखते हुए भू–अर्जन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की संख्या बतलाना।
iv. प्रस्तावित परियोजना के प्रति स्थानीय समुदाय का रूख जानना।
v. रहन–सहन और आवाजाही के पैटर्न, पारिवारिक ढांचे में बदलाव, सामाजिक नेटवर्क में व्यवधान, लोक सुरक्षा और स्वास्थ्य में परिवर्तन तथा फुर्सत के समय किए जाने वाले क्रियाकलापों में परिवर्तन जैसे अपरिहार्य कुप्रभावों को चिन्हित करना।
vi. रहन–सहन की लागत, व्यावसायिक विकल्पों तथा मजदुरी/आय के पैटर्न में प्रत्याशित परिर्वतनों का मूल्यांकन करना।

जन–सुनवाई से संबंधित निष्कर्ष– *हाजीपुर से सुगौली के बीच नई रेल लाईन के निर्माण हेतु भू–अर्जन से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन RFCTLARR Rule, 2014 की धारा–11 के तहत् जन सुनवाई 15 मई, 2018 को प्रखण्ड के सभाकक्ष में आयोजित की गई। अध्ययन दल के साथ सरकार के प्रतिनिधि ने जन सुनवाई की अध्यक्षता की और जन सुनवाई के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की तथा अध्ययन के निष्कर्ष, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के साथ–साथ विभिन्न प्रक्रिया संबंधी मुद्दों को स्पष्ट किया गया। भूमि के उचित वर्गीकरण, भूमि की दर में संशोधन और आवासीय भूमि की दर तय करने की माँग की गई, लोग भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पहल से चिंतित है क्योंकि यह उनके खेती करने के निर्णय को प्रभावित करते है। उनकी माँग है कि अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में ही मुआवजे का भुगतान हो, लोगों ने परियोजना को उपयोगी पाया और अधिकांश लोग अपनी भूमि का एक छोटा सा हिस्सा खो रहे है। हालांकि कुछ परिवार जिनकी आजीविका प्रभावित हो रही है उन्हे अलग से विचार करने की आवश्यकता है।*

सर्वप्रथम सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (SIA) के मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु विचार–विमर्श किया गया। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय–II की धारा–7(4) के तहत् दो बिन्दुओं पर चर्चा की गई:–

(1) परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा नहीं करती है; या
(2) परियोजना की सामाजिक लागत एवं प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव संभावित लाभों से अधिक है;

समिति द्वारा सर्वप्रथम समर्पित प्रतिवेदन तथा विस्तृत परियोजना के कार्य अध्ययन का अवलोकन किया गया तथा इस परियोजना से होनवाले लाभों/हानियों पर विचार किया गया–

I. परियोजना से पड़नेवाले सकारात्मक प्रभाव–

- संचार की बेहतर सुविधा तथा पटना और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों के बीच आवाजाही।
- स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अधिक विकल्प।
- कृषि उत्पादों का विपणन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में उत्पादित सब्जियों और दूध के लिए अधिक बड़े बाजार उपलब्ध होंगे।
- लीची के विपणन को बढ़ावा मिलने की आशा।
- यद्यपि, वैशाली प्रखण्ड में एक लोक स्वास्थ्य केन्द्र है, तथापि प्रस्तावित रेल लाईन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की सुगमता में सहायक होगा।
- चूँकि निकटतम महाविद्यालय की दूरी 16 कि0मी0 है, इसलिए स्थानीय छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय आने-जाने के बेहतर सुविधा हो सकेगी।
- लोगो को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए हाजीपुर भी जाना पड़ता है। उनके लिए यह रेल लाईन लाभदायक होगा।
- भागीदारों ने पर्यटन में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि वैशाली की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता तो पहले से ही है। रेल लाईन पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। हालांकि, भागीदारों ने इस स्थान को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने के लिए सरकार से पहल करने का अनुरोध भी किया।

II. परियोजना से पड़नेवाले नकारात्मक प्रभाव–

- जमीन खोने की चिन्ता तथा इसका तात्कालिक प्रभाव आजीविका एंव आय पर पड़ना।
- इस क्षेत्र में अवैध कारबार में वृद्धि होने की संभावना।
- परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रदूषण में वृद्धि होगी क्योंकि इस क्षेत्र में यातायात बढ़ जाएगा।
- भागीदार इस संभावना से भी चिन्तित हैं कि इस परियोना के कारण कहीं अपराध में वृद्धि न हो जाए।
- जमीन खोने वालों को प्रतिकर (मुआवजा) भुगतान की प्रक्रिया की भी चिन्ता है। उन्हे लगता है कि प्रतिकर पाने के लिए घूस देना पड़ेगा।

अन्त में समिति भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) की धारा-7(5) के तहत् समर्पित समाजिक प्रभाव आकलन (SIA) प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समीक्षोपरान्त परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में आम-राय है कि–

(1) परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करेगी; तथा

(2) संभावित लाभ सामाजिक लागतों एवं प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक है।

समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के निष्कर्ष का अध्ययन किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि-

"ग्राम स्तर पर व्यापक परिचर्चा तथा सहायक एवं प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित रेल परियोजना में लगनेवाली लागत की अपेक्षा इस क्षेत्र के लिए अधिक लाभकारी होगी। जिन प्रमुख लाभों को महसूस किया जाएगा वे है, गॉव का समग्र विकास, बेहतर संयोजकता, यातायात में सहूलियत, रोजगार का सृजन तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव। दूसरी ओर, इस परियोजना के प्रमुख लागत में है; उपजाऊ कृषि भूमि की हानि, इस क्षेत्र के प्रदूषण में अस्थाई वृद्धि आदि। ऐसे में साफ है कि प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ इसकी सामाजिक लागत से ज्यादा है। प्रोजेक्ट काफी समय से लम्बित भी है। ऐसे में प्रोजेक्ट को लागू करने और इस सम्बन्ध में चिन्हित भूमि के अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।"

अंत में समिति उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सर्वसम्मति से संबंधित परियोजना के निर्माण के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के तहत् प्रभावित रैयतों को उचित मुआवजा के साथ भू-अर्जन हेतु कार्रवाई करने के लिए समाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन को मूल्यांकन के लिए समर्पित प्रतिवेदन का अनुमोदन करती है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

27.7.18

गोपा मुखर्जी, प्राचार्य, डायट, दिग्घीकला, हाजीपुर।

Babita Narayan

कुमारी बबीता, सदस्य, जिला परिषद, वैशाली।

सुशीला देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत राज-वैशाली।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, हाजीपुर।

मधुमिता, समन्वयक, युनिसेफ, हाजीपुर।

सुधीर कुमार शुक्ला, सामाजिक सेवा संस्थान, हाजीपुर

रमण कुमार, सिटिजेन फाउन्डेशन, राँची।

उप-मुख्य अभियंता, निर्माण-II, पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर।

गठित विशेषज्ञ समूह समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की परीक्षा कर प्रतिवेदन के सन्दर्भ में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) की धारा-8 के बिन्दुओं की दुबारा सत्यापन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को निदेश के साथ इसे नियमानुकूल होने की स्थिति में सशर्त्त सहमति व्यक्त की गई है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली।

अपर समाहर्त्ता, वैशाली।

समाहर्त्ता वैशाली।

ज्ञापांक-सांचिका सं0-19-01/2018-746 /भू0अ0, दिनांक- 20/10/18

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप-विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, हाजीपुर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वैशाली/अंचल अधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत पड़नेवाले सरकारी भवनों/सूचना पट्ट पर इसका प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली।

अपर समाहर्त्ता, वैशाली।

समाहर्त्ता वैशाली।